



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1708 / SEIAA/2022

Date: 23.7.22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.) - 462016(म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्रमांक 9138/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री कमरान खान आत्मज श्री इकबाल हुसैन खान, निवासी 105, बद्रीबाग कॉलोनी, मनिक बाग रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 एवं एम-सेण्ड 75000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 181/2, ग्राम निमोला, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 739 वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के निर्णय उपरांत SEIAA की 747वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

".....The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same. PP has submitted online information today i.e. 21/07/22 but the DSR of Dhar district is not approved till date, hence sent to SEIAA for necessary action".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक के ई.मेल. दिनांक 03.09.2022 के माध्यम से SEAC की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण को Relist किया जाता है। प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रप्रेषित है।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1709 /SEIAA/2022

दिनांक - 23-9-22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
10. परियोजना प्रस्तावक श्री कमरान खान आत्मज श्री इकबाल हुसैन खान, निवासी 105, बद्रीबाग कॉलोनी, मनिक बाग रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

o/c (आलोक नायक)
प्रमारी अधिकारी